(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that constant exposure to their smoke is harmful to the health of its users; and

(d) if so, what steps Government propose to take to make them safer for the users?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) and (b) The Bureau of Indian Standards have published two Standards for Mosquito Mats and Coils namely; IS: 13438:1992 and IS: 13439: 1992 which are voluntary in nature. So far only one manufacturer has obtained licence from BIS for use of ISI mark for mosquito mats.

(c) and (d) The Ministry of Agriculture, which is the administrative Ministry for Insecticides Act, 1968, has advised that any insecticide which is to be used/manufactured in the country is required to be necessarily registered under the Insecticides Act, 1968. The Registration Committee registers the insecticides after satisfying itself regarding its efficacy and safety to human beings, animals and environment. To satisfy about the safety, the Registration Committee examines the toxicity data as per the prescribed guidelines and only those chemicals which satisfy the prescribed safety parameters are granted registrations for use as mosquito repellents.

**मध्य प्रदेश में गैर-आदिवासी क्षेत्रों को रियायती दर पर खाद्यान्न दिया जाना**

260. **श्री अजीत जोगी**:

**श्रीमती वीणा वर्मा**:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार द्वारा गत वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत निर्गम मूल्यों को बढ़ाने से गैर-आदिवासी क्षेत्रों में गेहूं और चावल के उठाव में कमी आयी हैं;

(ख) यदि हां,तो क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक कारगर बनाते हुए गैर-आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को भी रियायती दर का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा;और

(ग) मध्य प्रदेश के जिन 75 विकास खंडों को सुनिश्चित योजना के अन्तर्गत चयर किया गया हैं। उन्हें रियायती दर का खाद्यान्न कब से उपलब्ध कराया जायेगा ?

**खाद्य मंत्री** (**श्री अजित सिंह**): (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान खुले बाजार में उचित मूल्य पर गेंहू और चावल के आसानी से उपलब्ध होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं और चावल के उठान में कमी आ रही हैं । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में पिछली वृद्वि 1.2.94 को लागू की गई थी।

(ख) केन्द्रीय सरकार पहले से ही निम्नलिखित स्कीमों पर अमल कर रही हैं जिनके अंतर्गत गैर-जनजातीय क्षेत्रों में भी समाज के कमजोर वर्गो को रियायती दरों पर खाद्यान्न जारी किए जाते हैं;

(1) जवाहर रोजगार योजना।

(2) खाद्य उत्पादों का निमार्ण करने के लिए रोजगार सृजन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को गेहूं और चावल रियायती दर पर उपलब्ध कराना जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 1000/- रूपए प्रति मीटरी टन कम हैं।

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के होस्टलों को गेहूं और चावल रिलीज करना जिसका मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 500/- रूपए प्रति मीटरी टम कम हैं बशर्ते उपर्युक्त होस्टलों में रहने वाले कमसे कम दो-तिहाई व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित हों।

(4) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज़ इण्डिया लिमिटेड को ब्रेड बनाने और शक्तिवर्द्वक खाद्य पदार्थो (एनर्जी फूड) का उत्पादन करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 1000/- रूपए प्रति मीटरी टन कम मूल्य पर गेहूं रिलीज करना बशतें कि वे 800 ग्राम और 400 ग्राम की ब्रैड के मूल्यों में क्रमश: 50 पैसे और 25 पैसे की कमी करें।

(5) पांचर्वी कक्षा तक के स्कूली बच्चों के लिए चुने हुए ब्लाकों में "मिड-डे मील स्कीम" जिसके अधीन मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मध्य प्रदेश में अतिरिक्त ब्लाकों को शामिल करने सम्बन्ध में कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया हैं ।

**Excise concessions on cold drinks**

1828. SHRI S.S. SURJEWALA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIRS, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 876 given in the Rajya Sabha on 7th August,1995 and state whether Government would refer the issue of non-passing of the benefit of the excise relief to the consumers offered on cold drinks to the Bureau of Industrial costs and prices to enforce the above suggestion?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION. (SHRI BUTA SINGH): Bureau of Industrial Costs & Prices (BICP) has been requested to conduct a study of some select items, which includes soft drinks, to ascertain Whether the industries have passed on the benefits of tax concessions announced in the budget of 1995-96 to the consumers and submit its findings to this Ministry.

**बंगलादेश को निर्यात**

1829. **श्री गोपाल सिंह जी.सोलंकी**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष में बंगलादेश की कितने-कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया हैं;

(ख) अब तक निर्यात की गयी मुख्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में निर्धारित किये गये लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हैं ;

(घ) आज की तारीख तक मुख्यतः किन-किन वस्तुओं के निर्यात के लिए बंगलादेश द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं;और

(ड़) वर्ष 1995-96 के दौरान इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा के अर्जन किये जाने की संभावना हैं?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.चिदम्बरम)**: (क) संगत आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

| वर्ष | निर्यात (करोड़ रूपये) |
|---|---|
| 1992-93 | 1028.46 |
| 1993-94 | 1349.29 |
| 1994-95 | 2001.50 |

**स्त्रोत**: डीपीसीआई एण्ड एस

(ख)बंगलादेश को निर्यात की गई मुख्य मदों में शामिल हैं सूती धागा,फैब्रिक्स तथा मेड-अप्स,परिवहन उपस्कर,मशीनरी और उपकरण,शीशा और शीशे का सामान,सिरैमिक्स और सीमेंट,कोयला,चावल और कागज तथा लकड़ी उत्पाद । विस्तृत आंकड़े डीबीसीआईएण्डएस के प्रकाशन "फारेन ट्रेड स्टेटिस्टिक्स ऑफ इण्डिया" में देखे जा सकते हैं जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) ऐसे कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं ।

(घ) बंगलादेश ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा हैं । देश से निर्यात के लिए अनुमत सभी मदों का तदनुसार बंगलादेश को निर्यात किया जा सकता हैं ।

(ड़) ऐसा अनुमान लगाना अभी संभव नहीं हैं । वर्ष 1995-96 के प्रथम दो माह की अवधि में बंगलादेश को 578.82 करोड़ रू.मूल्य का निर्यात किया गया जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 148% अधिक हैं ।

**Modernisation of rescue services**

1830. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a)whether the rescue services in coal mines have been modernised;

(b)how do they compare with those in the developed countries;

(c) what is the measure of modernisation; and

(d) by when the modernisation programme will be completed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) to (d) Modernisation of rescue